

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 796 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 09 / 09 / 2014)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

### // विरुद्ध //

01. जितेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र राजेन्द्र श्रीवास्तव, उम्र 30 वर्ष।  
निवासी : मोती झील चम्बल कॉलौनी ग्वालियर, जिला—ग्वालियर (म.प्र.)।  
..... अभियुक्त।

### // निर्णय //

( आज दिनांक : 15 / 02 / 2018 को घोषित )

01. आरोपी जितेन्द्र पर धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 06 / 05 / 2014 को रात्रि लगभग 12:00 बजे ए.बी.एन. ट्यूब फैक्ट्री के सामने भिण्ड—ग्वालियर लोकमार्ग मालनपुर में, उसके आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत आशाराम को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 07 / 05 / 2014 को रात्रि लगभग 12:15 बजे फरियादी शिव सिंह पुत्र गिरवर लाल राठौर, उम्र 44 वर्ष, निवासी :- गदाईपुरा ग्वालियर द्वारा थाना मालनपुर पर वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 के चालक द्वारा उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक एवं बिना इंडीकेटर जलाए रोड़ पर खड़ा करने से उसका टैंकर क्रमांक एम.पी.06/जी.ए./0990 उक्त डम्पर के टकरा जाने से उसके क्लीनर आहत आशाराम को चोट कारित करने की लिखित रिपोर्ट की जाने पर, उक्त लिखित रिपोर्ट की जांच रोजनामचा सान्हा क्रमांक 181/2014, दिनांक : 06 / 05 / 2014 को एसआई श्रीनिवास यादव द्वारा की जाने पर, उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 के चालक के विरुद्ध थाना मालनपुर में अपराध क्रमांक 125/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत आशाराम के एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का

नक्शा-मौका बनाया गया। आरोपी जितेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा पेश करने पर वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 के दस्तावेज की छायाप्रतियाँ जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। पूर्व से थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 97/2014 में जब्तशुदा वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी मन्नु खों का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया था। फरियादी शिव सिंह एवं आहत/साक्षी आशाराम के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त जितेन्द्र के विरुद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी जितेन्द्र ने दिनांक :- 06/05/2014 को रात्रि लगभग 12:00 बजे ए.बी.एन.ट्यूब फैक्ट्री के सामने भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग मालनपुर में, उसके आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत आशाराम को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02**

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी शिव सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 25/03/2015 से करीबन 03-04 माह पूर्व की रात के 10:00 बजे की है। साक्षी आगे कहता

है कि उस समय वह और आशाराम टेंकर को लहार से रायरू की ओर ले जा रहे थे। मालनपुर पहुँचने पर ए.व्ही.एन. ट्यूब फैक्ट्री के सामने टेंकर के सामने से एक गाय निकली, जिसे बचाने के चक्कर में उसने टेंकर को बाईं तरफ मोड़ा तो रोड़ पर बीच में खड़े एक डम्पर में उसका टेंकर टकरा गया। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर लगने से टेंकर में बैठे आशाराम को शरीर में कई जगह चोटें आई थी। उक्त टक्कर में उसके पैर में, गुप्तांग में चोट आई थी, टक्कर लगने से वह बेहोश हो गया था। साक्षी आगे कहता है कि बस वालों ने उसे और आशाराम को टेंकर से निकाला था। मौके पर ही 108 एम्बूलेंस आ गई थी, जिसमें आशाराम को रखकर एवं उसे बैठाकर माधव डिस्पेंसरी के सामने स्थित प्राइवेट अस्पताल में लेकर गये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसने घटना की मौखिक सूचना थाना मालनपुर में दी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर शिव सिंह अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि उसे आज ध्यान नहीं है कि उसने पुलिस को डम्पर का क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 होना बताया था, अथवा नहीं। साक्षी शिव सिंह अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि डम्पर के ड्रायवर ने लापरवाहीपूर्वक डम्पर को रोड़ पर खड़ा कर दिया था, जिसकी कोई लाईट नहीं जल रही थी, ब्रेक लाईट एवं रेडियम भी डम्पर पर नहीं था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उक्त डम्पर सड़क पर रुकने के लिए किसी चिन्ह को रखे बिना खड़ा था एवं घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 25/03/2015 से करीबन एक वर्ष पूर्व की थी।

09. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी शिव सिंह अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि उसे आज ध्यान नहीं है कि उसने पुलिस को दुर्घटनाकारित करने वाले डम्पर का नम्बर एम.पी.07/जी.ए./0318 होना बताया था, अथवा नहीं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में शिव सिंह अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके टेंकर की लाईट से सड़क पर 100 मीटर की दूर तक की वस्तु दिखती है। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि यदि गाय बीच में ना आती, तो उसकी गाड़ी डम्पर के बगल से निकल जाती। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि यदि किसी डम्पर का टायर पंचर अथवा वर्स्ट हो जाये तो उसे उसी स्थान पर खड़ा करना पड़ता है। इस प्रकार शिव सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 या दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी जितेन्द्र की पहचान संबंधी कोई तथ्य दर्शित नहीं हुये है। बल्कि सड़क पर गाय आ जाने के कारण, उस गाय को बचाने के लिए टेंकर मोड़ने की वजह से सड़क पर खड़े एक अज्ञात डम्पर में फरियादी शिव सिंह का टेंकर टकरा जाने संबंधी तथ्य प्रकट हुये है।

10. साक्षी/आहत आशाराम अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 06/05/2014 की रात्रि 12:00 बजे की है। वह लहार से अपना टेंकर क्रमांक एम.पी.06/जी.ए./0990 खाली करके आ रहा था। वह उक्त टेंकर पर हैल्पर था और गाड़ी कोक सिंह चला रहा था। साक्षी आगे कहता है कि मालनपुर थाने से दो किलोमीटर पहले उसकी गाड़ी का डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 ट्यूब फैंक्ट्री के सामने एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में उसके पैर में चोट आई थी। साक्षी आगे कहता है कि डम्पर बीच रोड़ पर खड़ा था, डम्पर में कोई लाईट नहीं जल रही थी, उसमें कोई रेडियम पट्टी भी नहीं लगी थी और ना ही डम्पर के आस-पास पत्थर रखे थे। पुलिस ने इस संबंध में उसका बयान लिया था। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में हाजिर अदालत आरोपी की उक्त डम्पर का चालक था।

11. उल्लेखनीय है कि आहत आशाराम अ.सा.03 ने दुर्घटना के समय उसका टेंकर क्रमांक एम.पी.06/जी.ए./0990 किसी चालक कोक सिंह द्वारा चलाया जाना दर्शित किया है। जबकि फरियादी शिव सिंह अ.सा.02 द्वारा दुर्घटना के समय उक्त टेंकर क्रमांक एम.पी.06/जी.ए./0990 स्वयं शिव सिंह अ.सा.02 द्वारा चलाया जाना दर्शित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 में भी टेंकर क्रमांक एम.पी.06/जी.ए./0990 शिव सिंह द्वारा चलाये जाने का उल्लेख है, इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में शिव अ.सा.02 एवं आशाराम अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में साक्षी आशाराम अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि डम्पर रोड़ पर खड़ा था, इसलिए अन्य गाड़िया उसकी साईड से निकल रही थी। दुर्घटना के समय एक गाय सड़क पर आ जाने के कारण उसका टेंकर डम्पर में टकरा गया था, यदि गाय ना आई होती तो उसका टेंकर डम्पर में नहीं टकराता। इस प्रकार आशाराम अ.सा.03 द्वारा उक्त तथ्यों से आरोपित दुर्घटना कारित होने में डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 के चालक की कोई उपेक्षा या उतावलापन दर्शित नहीं होता है। जहाँ तक आशाराम अ.सा.03 द्वारा न्यायालय में उपस्थित आरोपी जितेन्द्र को डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 के चालक के रूप में पहचाने जाने का प्रश्न है, वहाँ यह उल्लेखनीय है कि आशाराम के पुलिस कथन में कहीं पर भी दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी जितेन्द्र की पहचान संबंधी कोई तथ्य दर्शित नहीं हुये है। पश्चातवर्तीय प्रक्रम पर आशाराम अ.सा.03 को आरोपी चालक के रूप में जितेन्द्र की पहचान संबंधी ज्ञान कब हुआ, इसका कोई उल्लेख आशाराम अ.सा.03 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं किया गया। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी जितेन्द्र की पहचान संबंधी आशाराम अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एक विश्वास योग्य साक्ष्य नहीं है, जो कि सारवान संदेह से युक्त है, जिसका कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

12. अभियोजन साक्षी मन्नू खॉ अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 का पंजीकृत स्वामी है। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उसके उक्त डम्फर को पकड़ लिया था, जिसे उसके द्वारा न्यायालय से सुपुर्दगी पर लिया था, तभी पुलिस ने उसके एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिये थे। साक्षी को प्रमाणीकरण प्र.पी.07 का दस्तावेज दिखाने पर साक्षी ने उक्त दस्तावेज के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि उसने आरोपी जितेन्द्र को थाने से छुड़वाया था, जिसके गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.08 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी मन्नू खॉ अ.सा.07 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह अपनी गाड़ी को आरोपी जितेन्द्र से चलवाता था एवं दिनांक : 06/05/2014 को चालक जितेन्द्र उक्त डम्फर रात्रि लगभग 12:00 बजे ए.व्ही.एन. ट्यूब फैक्ट्री के सामने उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आशाराम में टक्कर मार दी थी। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उक्त जानकारी उसे चालक जितेन्द्र ने दी थी एवं उक्त जानकारी के आधार पर उसने पुलिस को प्रमाणीकरण दिया था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आरोपी को बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ। इस प्रकार साक्षी मन्नू खॉ अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो आरोपित घटना में दुष्ट टिनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी जितेन्द्र सिंह की पहचान एवं उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किये जाने के तथ्य को दर्शित करते हो।

13. अभियोजन साक्षी गजेन्द्र सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 06/05/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 03/06/2014 को उसके द्वारा फरियादी शिव सिंह राठौर द्वारा डम्फर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 125/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की प्रथम सूचना फरियादी के बताये अनुसार लेखबद्ध की थी, उसमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उल्लेखनीय है कि गजेन्द्र सिंह अ.सा.06 ने फरियादी शिव सिंह के बताये अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध किया जाना दर्शित किया है, जबकि अभियोजन कथा के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपित घटना के लगभग एक माह पश्चात् दिनांक : 03/06/2014 को लेखबद्ध की गई थी। इस प्रकार इस वावत् गजेन्द्र सिंह अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है और यह तथ्य गजेन्द्र सिंह अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य को संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय बनाता है।

14. अभियोजन साक्षी श्रीनिवास यादव अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 03/06/2014 को थाना मालनपुर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 125/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा. द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी शिव सिंह के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा फरियादी शिव सिंह, साक्षी आशाराम के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से एक डम्पर चालू हालत में जिसका नम्बर एम.पी.07/जी.ए./0318 जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र. पी.09 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक : 10/06/2014 को आरोपी जितेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को ही आरोपी से डम्पर क्रमांक एम.पी. 07/जी.ए./0318 का रजिस्ट्रेशन, आरोपी का ड्रायविंग लाईसेंस एवं बीमा प्रपत्र जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.10 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही मन्नू खां से उक्त जब्तशुदा वाहन के संबंध में प्रमाणीकरण लिया गया था, जो प्र.पी.07 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. उल्लेखनीय है कि विवेचक श्रीनिवास अ.सा.08 ने उसके मुख्य परीक्षण में नक्शा-मौका प्र.पी.02 फरियादी शिव सिंह के बताये अनुसार दिनांक : 03/06/2014 को बनाया जाना दर्शित किया है, जबकि शिव सिंह अ.सा.02 का इस वावत् उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में कहना है कि नक्शा-मौका प्र.पी.02 पर उसके हस्ताक्षर हैं, उस पर क्या लिखा था, उसे नहीं मालूम और नक्शा-मौका प्र.पी.02 पर उसके हस्ताक्षर घटना के दूसरे दिन अर्थात् दिनांक : 07/05/2014 को कराये गये थे। इस प्रकार नक्शा-मौका प्र. पी.02 कब बनाया गया और उस पर फरियादी शिव के हस्ताक्षर कब कराये गये, इस वावत् विवेचक श्रीनिवास अ.सा.08 एवं शिव सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं नक्शा-मौका प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि उक्त नक्शा-मौका प्र.पी.02 दिनांक : 03/06/2014 को फरियादी शिव के बताये अनुसार बनाये जाने के तथ्य को संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय बनाता है।

16. विवेचक श्रीनिवास अ.सा.08 द्वारा उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया गया है कि उसने दिनांक : 03/06/2014 को घटनास्थल से डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 चालू हालत में जब्ती पत्रक प्र.पी.09 के माध्यम से जब्त किया था, जबकि जब्ती पत्रक प्र.पी.09 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 97/2014 में पूर्व से ही जब्त था और उक्त जब्ती थाना

परिसर में ही बनाई गई थी। इस प्रकार उक्त डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 की जब्ती के संबंध में विवेचक श्रीनिवास यादव अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा बनाये गये जब्ती पत्रक प्र.पी.09 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि इस वावत् विवेचक श्रीनिवास अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य को संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय बनाता है।

17. डॉ.वी.के.दीवान अ.सा.01, डॉ.बी.एल.राजपूत अ.सा.04 एवं डॉ.नीरज शर्मा अ.सा.05 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल आहत को कारित चोटों के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी चिकित्सीय अभिमत संबंधी साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

18. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी जितेन्द्र ने दिनांक :- 06/05/2014 को रात्रि लगभग 12:00 बजे ए.बी.एन.ट्यूब फैक्ट्री के सामने भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग मालनपुर में, उसके आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत आशाराम को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

### अंतिम निष्कर्ष

19. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी जितेन्द्र के विरुद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी जितेन्द्र को भा.द.सं. की धारा 279 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

21. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी मन्नू खों के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

